vinetur

इंग्लैंड और वेल्स में देर रात शराब लाइसेंस 3% बढ़े

गृह मंत्रालय के आंकड़ों में व्यापक लाइसेंसिंग बाजार लगभग स्थिर रहा, जबकि व्यक्तिगत और परिसर लाइसेंस में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई।

शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026



गृह मंत्रालय ने इंग्लैंड और वेल्स के लिए अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक की नई शराब-लाइसेंसिंग सांख्यिकी जारी की है, जिसमें दिखता है कि वर्ष भर बाजार में बहुत कम बदलाव हुआ, लेकिन देर रात कारोबार और शराब की अनुमति रखने वाले लोगों या स्थलों की संख्या जैसी कुछ अहम श्रेणियों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी जारी रही।

अपने वर्णनात्मक सारांश में विभाग ने कहा कि मार्च 2026 तक इंग्लैंड और वेल्स में लगभग 180,000 व्यक्तिगत लाइसेंस प्रभावी थे, जो एक साल पहले की तुलना में 1.5% अधिक थे। उसने यह भी कहा कि लगभग 170,000 सक्रिय परिसर लाइसेंस थे, जो सालाना आधार पर 0.8% की वृद्धि थी। व्यक्तिगत लाइसेंस किसी व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त स्थल पर शराब बिक्री की अनुमति देने देते हैं, जबकि परिसर लाइसेंस किसी विशिष्ट स्थान पर शराब की बिक्री, विनियमित मनोरंजन या देर रात जलपान को कवर करते हैं।

प्रकाशित सामग्री में एक से अधिक लाइसेंसिंग मापदंड इस्तेमाल किए गए लगते हैं। उसी रिलीज़ के एक मॉनिटर किए गए सारांश में 31 मार्च 2026 तक के बड़े शीर्षक आंकड़े बताए गए, जिनमें 968,400 व्यक्तिगत लाइसेंस और 227,300 परिसर लाइसेंस शामिल थे। GOV.UK पर उपलब्ध गृह मंत्रालय के प्रकाशन में छोटे वर्णनात्मक पाठ में इस अंतर की व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन दोनों सेट के आंकड़े एक ऐसे तंत्र की ओर इशारा करते हैं जो इंग्लैंड और वेल्स में बड़ा और मोटे तौर पर स्थिर बना हुआ है।

रिलीज़ में कहा गया कि सक्रिय परिसर लाइसेंस मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में केंद्रित थे, जिनमें लंदन और वेस्ट मिडलैंड्स में सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। यह पैटर्न पब, बार, रेस्तरां, क्लब और अन्य आतिथ्य स्थलों के वितरण के अनुरूप है, जो सबसे बड़े जनसंख्या केंद्रों में लाइसेंस प्राप्त व्यापार पर निर्भर करते हैं। यह भी समझाता है कि लाइसेंसिंग नीति में बदलावों पर अक्सर बड़े शहरों में कितनी करीबी नजर रखी जाती है, जहां स्थानीय प्राधिकरण, पुलिस और स्थल संचालक घनी रात्री अर्थव्यवस्थाओं का प्रबंधन करते हैं।

क्लब परिसर प्रमाणपत्र, जो योग्य क्लबों को सदस्यों को शराब उपलब्ध कराने और कुछ गतिविधियाँ कराने की अनुमति देते हैं, वर्ष भर में थोड़ा घटकर लगभग 13,000 सक्रिय प्रमाणपत्र रह गए। इसके विपरीत, देर रात के लाइसेंस में मामूली वृद्धि हुई। गृह मंत्रालय ने कहा कि इन अनुमतियों में 3% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें अधिकांश वृद्धि महानगरीय क्षेत्रों में थी। 24 घंटे शराब बिक्री की अनुमति देने वाले लाइसेंस सभी परिसर लाइसेंसों का लगभग 2% थे।

आंकड़े संचयी प्रभाव क्षेत्रों के उपयोग में भी बहुत कम बदलाव दिखाते हैं, जो स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा शराब-लाइसेंस प्राप्त परिसरों की अधिकता से जुड़े अपराध और अव्यवस्था से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है। गृह मंत्रालय के अनुसार, ऐसे क्षेत्रों की संख्या देश भर में लगभग 300 पर स्थिर रही। यह स्थिरता संकेत देती है कि परिषदों ने इस अवधि में लाइसेंसिंग ढांचे के इस हिस्से में व्यापक बदलाव नहीं किए, भले ही नाइटलाइफ़, सार्वजनिक सुरक्षा और टाउन सेंटर प्रबंधन पर स्थानीय बहसें जारी रहीं।

प्रवर्तन के मामले में, प्रकाशित सामग्री लाइसेंस प्राप्त स्थलों की निरंतर जांच-पड़ताल की ओर इशारा करती है, हालांकि उपलब्ध दस्तावेज़ों में दिए गए आंकड़े पूरी तरह मेल नहीं खाते। वर्णनात्मक सारांश में कहा गया कि 1,200 परिसर लाइसेंस समीक्षाएँ मांगी गईं, जिनमें अधिकांश लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन से जुड़ी थीं। रिलीज़ के एक मॉनिटर किए गए सारांश में वार्षिक समीक्षाएँ लगभग 600 बताई गईं, जो पिछले वर्ष से लगभग 30% अधिक थीं। उसी मॉनिटर किए गए सारांश में स्पाइकिंग संबंधी चिंताओं के सिलसिले में तीन लाइसेंस शर्तें दर्ज की गईं; संख्या छोटी है, लेकिन यह दिखाती है कि यह मुद्दा औपचारिक लाइसेंसिंग चर्चाओं में आ चुका है।

पेय उद्योग के लिए यह डेटा व्हाइटहॉल और स्थानीय परिषदों से आगे भी मायने रखता है। ब्रुअरीज, वाइन और स्पिरिट्स आपूर्तिकर्ता, पब कंपनियां, रेस्तरां समूह और स्वतंत्र संचालक आधिकारिक लाइसेंसिंग आंकड़ों का इस्तेमाल ऑन-ट्रेड बाजार के आकार और स्वरूप का आकलन करने के एक तरीके के रूप में करते हैं। सक्रिय परिसर और देर रात की अनुमतियों में मामूली बढ़ोतरी आतिथ्य क्षेत्र में स्थिर मांग का संकेत दे सकती है, जबकि सुरक्षा संबंधी चिंताओं से जुड़ी समीक्षा गतिविधि और शर्तें संचालकों को अनुपालन, कर्मचारी प्रशिक्षण, सुरक्षा प्रक्रियाओं और रिकॉर्ड-रखरखाव पर अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं।

गृह मंत्रालय ने कहा कि ये सांख्यिकी नीति-निर्माताओं, कानून प्रवर्तन और जन स्वास्थ्य अधिकारियों को रुझानों पर नजर रखने और शराब से होने वाले नुकसान को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए हैं। लाइसेंस प्राप्त स्थलों के जरिये बीयर, वाइन और स्पिरिट्स बेचने वाले व्यवसायों के लिए यही रिलीज़ इस बात की मौजूदा तस्वीर भी देती है कि कितने लोग और स्थान व्यापार करने के लिए अधिकृत हैं, वे लाइसेंस कहां केंद्रित हैं, और स्थानीय स्तर पर मानकों की निगरानी के लिए इस प्रणाली का कितना सक्रिय उपयोग हो रहा है।